5 रु. COURT भारत पाँच रुपये
5 रु. कोर्ट फी COURT FEE INDIA FIVE RUPEES Rs.5

CANCELLED.
CANCELLED.

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

श्रीमति मीरा पत्नी बाबूलाल पांडे आयु 55 वर्ष

निवासी ग्राम ऊमरी तह. व जिला सागर म0प्र0

निगरानी – 4337/2018/पन्ना/भू.रा.

..........आवेदिका

//विरूद्ध//

म0प्र0 शासन

द्वारा कलेक्टर पन्ना

........अनावेदक

पुन0क्र. ता0 प्रस्तुती

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 निगरानी म0प्र0भू0रा0संहिता

आवेदका निम्नलिखित प्रार्थना करती है :–

अपर आयुक्त सागर प्र0क्र0 139 अ–19 वर्ष 2005–06 में पारित आदेश दिनांक 05.04.2018के विरूद्ध श्रीमान के समक्ष यह निगरानी प्रस्तुत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि वर्ष 1983–84 से आवेदिका मीराबाई का भूमि ख.न. 796–53 हे0 भूमि पर सन् 1983–84 से धान की फसल लगाकर कब्जा होने से दखल रहित अधि0 के अंतर्गत दिनांक 19.03.1987 को आवेदिका को उपरोक्त भूमि पर विधिवत प्रक्रिया का पालन करने के बाद पट्टा प्रदान किया गया। तब से आज तक वह फसल बोकर कब्जे में चली आ रही है परंतु नायब तहसीलदार पन्ना द्वारा दिनांक 24.08.2004 को एक प्रतिवेदन देने से प्रकरण को स्वमेव निगरानी में

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4337/2018/पन्ना/भू.रा. मीरा विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-09-2018 24.9.18 1/2	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री अनिल चौबे को ग्राह्यता पर दिनांक 14-09-2018 को सुना गया । 3. निगरानीकर्ता के अभिभाषक ने उन्ही आधारों को दोहराया है, जो निगरानी मेमो में दिये गये है । यह निगरानी प्रकरण अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 139/अ-19/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 05-04-2018 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 4. अपर आयुक्त सागर के प्रकरण क्रमांक 139/अ-19/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 05-04-2018 का अवलोकन किया । अपर आयुक्त के आदेश का बिन्दु (2) निम्नानुसार है - " मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख एवं प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया । कलेक्टर पन्ना के प्रकरण को निगरानी में लेकर आदेश पारित किया है । अपीलार्थी ने धारा 50 भू.रा. संहिता में अपील पेश की है, भू.रा. संहिता में अपील धारा 44(2) के अंतर्गत पेश की जाती है। प्रकरण वर्ष 2005 से लंबित है इस दौरान कोई भी आवेदन अपीलार्थी ने निगरानी को अपील में परिवर्तित करने बावत् पेश नहीं किया। अपीलार्थी ने धारा 50 में अपील पेश की है जो प्रथम ग्राह्य योग्य न होने से निरस्त की जाती है।" 5. अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा निगरानीकर्ता का अपील आवेदन गुण-दोष पर निराकरण ना कर	

मात्र तकनीकी आधार पर निरस्त किया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है कलेक्टर पन्ना ने प्रकरण क्रमांक 05/पन्ना/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 19-10-05 स्वमेव निगरानी में पारित किया है, जो कि कलेक्टर के मूल आदेश की श्रेणी में आयेगा एवं उसकी अपील अपर आयुक्त/ आयुक्त को की जा सकेगी ।

6. अतः प्रकरण अपर आयुक्त को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह अधीनस्थ कलेक्टर न्यायालय का अभिलेख देखे एवं गुण-दोष के आधार पर अपील प्रकरण का निगराकरण करें ।

(आर.के. जैन) 24.9.18
सदस्य